न्यायालय सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी, अरुण कुमार जैन, आरएएस

मुकदमा नम्बर–08/2024 प्रार्थना पत्र

[illegible]

1. पवन कुमार खोईवाल पुत्र मनोज लाल खोईवाल जाति खटीक आयु वयस्क निवासी पुलिसलाइन, पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा।

– प्रार्थी

बनाम

1. देवी पुत्र रामा बैरवा निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा मृतक के वारसान कायम मुकाम–

1/1 तम्मू पत्नी स्व0 देवी रेगर आयु वयस्क

1/2 नारायण पुत्र स्व0 देवी रेगर आयु वयस्क

1/3 प्रकाश पुत्र स्व0 देवी रेगर आयु वयस्क

1/4 पप्पू पुत्र स्व0 देवी रेगर आयु वयस्क निवासीयान पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

1/5 कदानी पुत्री देवी रेगर पत्नी रतन रेगर आयु वयस्क निवासी [illegible] तह0 [illegible] जिला चित्तौड़गढ़

2. लक्ष्मी देवी पत्नी श्री कैलाश खोईवाल आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा
4. उपपंजीयक पंजीयन कार्यालय भीलवाड़ा

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता–

1. श्री अमित कोठारी – प्रार्थी
2. श्री श्रवण सैन– अप्रार्थी संख्या 1/1 लगायत 1/5

दिनांक– [illegible]2026

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री उदयसिंह चारण द्वारा दिनांक 12.02.2024 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को रजिस्टर क्रम संख्या 08/2024 पर दर्ज किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि उक्त उनवान का वादपत्र प्रार्थी ने विपक्षीगण के विरूद्ध आप न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। प्रस्तुत वादपत्र उनकी ठोस एवं मजबूत आधारों पर आधारित होने से अवश्य ही प्रार्थी के पक्ष में डिक्री होगा।

ग्राम पुर पटवार हल्का पुर प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुर तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज0) के खाता संख्या 836 में आराजी नम्बर 3876 रकबा 0.2520 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3877 रकबा 0.3035 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3878/1 रकबा 0.0758 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3879/1 रकबा 0.2150 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3882/1 रकबा 0.2403 हैक्टयर कुल किता 05 कुल रकबा 1.0876 हैक्टयर भूमि स्थित है।

उक्त आराजियात राजस्व रेकार्ड मे प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 01 लगायत 02 के नाम पर राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है।

प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजियात मे प्रार्थी का 1/2 हक हिस्सा, विपक्षी संख्या 01 का 3/86 हक हिस्सा, विपक्षी संख्या 02 का 20/43 हक हिस्सा निहित है।

विवादित आराजी पर प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 01 लगायत 02 संयुक्त रूप से काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है तथा उक्त वर्णित आराजीयात का अभी तक विभाजन नही हुआ है।

[illegible]

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

विवादित आराजियात संयुक्त शामलाती होने से फसलों के समय आये दिन अनाज आदि जमा करने व मेड पाली की घास काटने के बारे में विवाद होता रहता है तथा प्रार्थी ने कई बार विपक्षी संख्या 01 से 02 को उक्त आराजियात का विभाजन कराने हेतु कहा लेकिन विपक्षी संख्या 01 व 02 हर बार टालमटोल करते हैं।

वर्तमान में उक्त आराजियात संयुक्त शामलाती अविभाजित आराजियात है, जिसमें प्रत्येक हक धारी का प्रत्येक खसरे में हक हिस्सा निहित है लेकिन विपक्षी संख्या 01 लगायत 02 की नियत में खोट पैदा हो गया है तथा विपक्षीगण ने आपस में मिलीभगती कर उक्त आराजी का बिना विभाजन कराये, प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि को हड़पने की नियत से आये दिन अनजान लोगों को लाकर भूमि बेचने की बात करते है व जबरन बिना विभाजन कराये प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि पर भी जबरन अवैध निर्माण कर सम्पूर्ण भूमि पर अपना कब्जा करना चाहते है, इस पर प्रार्थी ने विपक्षीगण को कहा कि उक्त आराजी संयुक्त शामलाती है, जिसका बिना विभाजन कराये, उक्त आराजीयात को किसी अन्य को रहन, विक्रय, हस्तांतरण नहीं करे लेकिन विपक्षीगण ने प्रार्थी को धमकी दी कि विपक्षीगण प्रार्थी को विवादित आराजीयात से बेदखल कर देंगे व आराजियात को खुर्द बुर्द करके रहेंगे। जबकि विपक्षी संख्या 01 लगायत 02 को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है।

उक्त आराजी का अभी बटवारा नहीं हुआ है व शामलाती रूप से काबिज है तथा यदि विपक्षी संख्या 01 लगायत 02 बिना विभाजन कराये उक्त आराजीयात को खुर्द बुर्द कर देंगे व अवैध निर्माण कर लेंगे तो प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 01 लगायत 02 एवं क्रेतागण जो कि अजनबी व्यक्ति होंगे के मध्य भविष्य में अनेकों अनेक विवाद बढ़ जायेगा। इस कारण प्रार्थी ने विपक्षी संख्या 01 लगायत 02 को उक्त आराजीयात का विभाजन कराने हेतु दिनांक 05 जनवरी 2024 को कहा लेकिन विपक्षी संख्या 01 लगायत 02 तैयार नहीं हुए व विपक्षी संख्या 01 लगायत 02 ने प्रार्थी को धमकी दी कि उक्त विवादित आराजीयात का बिना विभाजन कराये उक्त आराजीयात को विक्रय, हस्तांतरण/खुर्द बुर्द करके ही रहेंगे व सड़क रोड़ की तरफ की भूमि पर बिना विभाजन कराये व बिना कृषि भूमि का संपरिवर्तन कराये, अवैध तरीके से अवैध निर्माण करने पर आमादा है। जिन्हें रोका जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। इस कारण से यह दावा पत्र पेश करने की नौबत पेश आयी है।

यदि विपक्षी संख्या 01 लगायत 02 बिना विभाजन कराये विवादग्रस्त आराजीयात से प्रार्थी को बेदखल कर देंगे या प्रार्थी के हक हिस्से को भी किसी अन्य को रहन, विक्रय, हस्तांतरण/ खुर्द बुर्द कर देंगे या अवैध निर्माण कर लेंगे तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। इस कारण प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है कि विपक्षी संख्या 01 लगायत 02 प्रार्थी को विवादग्रस्त आराजीयात ग्राम पुर पटवार हल्का पुर प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुर तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज0) के खाता संख्या 906 में आराजी नम्बर 3876 रकबा 0.2529 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 3877 रकबा 0.1036 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 3878/1 रकबा 0.0759 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 3879/1 रकबा 0.2153 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 3882/1 रकबा 0.2403 हैक्टेयर कुल किता 05 रकबा 1.0876 हैक्टेयर से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल नहीं करे व न ही किसी अन्य से कराये व न ही विवादग्रस्त आराजीयात को किसी अन्य को रहन, विक्रय, हस्तांतरण / खुर्द बुर्द करे तथा प्रार्थी को अपने हक हिस्से का शांति पूर्वक ढंग से उपयोग उपभोग करने देवे तथा किसी प्रकार की बाधा अथवा रुकावट न ही स्वयं पैदा करे व न ही किसी अन्य से कराये व न ही किसी प्रकार का अवैध निर्माण आदि करे व भूमि के वर्तमान स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करे व मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनायी रखें।

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रार्थनापत्र में वर्णित ग्राम पुर पटवार हल्का पुर ग्राम पु अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुर तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज.) के खाता संख्या 935 में आराजी नम्बर 3876 रकबा 0.2529 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3877 रकबा 0.3035 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3878/1 रकबा 0.0759 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3879/1 रकबा 0.2150 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3882/1 रकबा 0.2403 हैक्टयर कुल किता 05 रकबा 1.0876 हैक्टयर भूमि का रास्ते की मध्य नजर रखते हुए मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन करवाया जाकर प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 02 में प्रार्थी का 1/2 हक हिस्सा, विपक्षी संख्या 01 का 3/16 हक हिस्सा, विपक्षी संख्या 02 का [illegible] हक हिस्सा की भूमि को अलग अलग अलग कर राजस्व रेकार्ड में अंकन करवाया जाना व राजस्व नक्शे में अंकित करवाया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

प्रार्थी का यह प्रथम दृष्टया मामला है और सुविधा संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है और यदि प्रार्थीगण वाद विपक्षीगण के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं फरमायी गयी और विपक्षी संख्या 01 लगायत 02 प्रार्थी को बिना बटवारा हुए आराजी से बेदखल कर देवे व भूमि पर किसी प्रकार का अवैध निर्माण कर पक्का स्थायी निर्माण कर देवे व आराजी को अन्य को रहन, विक्रय, हस्तांतरण/खुर्द बुर्द कर देवे तो प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 01 लगायत 02 पक्षकारों के मध्य अनेक अनेक विवाद बढ़ जायेंगे व प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति धनराशि से पूरी की जाना कदापि संभव नहीं होगा।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर दौराने वाद विपक्षीगण के विरुद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जाय कि विपक्षी संख्या 01 लगायत 02 प्रार्थी को प्रार्थनापत्र में वर्णित ग्राम पुर पटवार हल्का पुर ग्राम पु अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुर तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज.) के खाता संख्या 935 में आराजी नम्बर 3876 रकबा 0.2529 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3877 रकबा 0.3035 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3878/1 रकबा 0.0759 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3879/1 रकबा 0.2150 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3882/1 रकबा 0.2403 हैक्टयर कुल किता 05 रकबा 1.0876 हैक्टयर भूमि से अवैध शक्ति के बल पर बेदखल नहीं करे व प्रार्थी को शांति पूर्वक ढंग से उपभोग उपयोग करने देवे तथा विपक्षी संख्या 01 लगायत 02 वादग्रस्त आराजीयात को किसी अन्य को रहन, विक्रय, हस्तांतरण / खुर्द बुर्द नहीं करे व मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे व विपक्षी संख्या 01 लगायत 02 द्वारा वादग्रस्त आराजी के रहन विक्रय/हस्तांतरण संबंधी दस्तावेज विपक्षी संख्या 04 के यहां पेश करे तो विपक्षी संख्या 04 उसका पंजीयन नहीं करे व विपक्षी संख्या 03 राजस्व रेकार्ड में कोई परिवर्तन नहीं करे तथा प्रार्थी को शांति पूर्वक ढंग से उपयोग उपभोग करने देवे व किसी प्रकार का अवैध निर्माण आदि नहीं करे व न ही स्थायी पक्का निर्माण करे व वादग्रस्त भूमि के वर्तमान स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करे।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र का विपक्षी संख्या 2 लक्ष्मी देवी पत्नी श्री कैलाश खोईवाल आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा की ओर से निम्नलिखित जवाब पेश किया है:-

प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित तथ्य स्वीकार है।

प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 02 में वर्णित तथ्य आराजियात स्थित होना स्वीकार है व प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 01 व 02 के नाम पर दर्ज होना स्वीकार है।

प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित तथ्य प्रार्थी एवं विपक्षीगण का वर्णित हक हिस्सा होना स्वीकार है।

प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित तथ्य प्रार्थी एवं विपक्षीगण का वर्णित हक हिस्सा होना स्वीकार है।

प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 4 में वर्णित तथ्य प्रार्थी एवं प्रतिप्रार्थीगण संयुक्त रूप से काबिज होना स्वीकार है।

प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 5 में वर्णित तथ्य का जवाब इस प्रकार है कि उक्त आराजियात का मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन कर दिये जाने पर विपक्षी जवाबदाता को कोई आपत्ति नहीं है।

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 6 जिस प्रकार लिखी गयी है, अस्वीकार है। विपक्षी संख्या 01 से अलग मुकदमा उक्त भूमि पर बिना विभाजन किये ही अवैध निर्माण करना चाहते है व भूमि को खुर्द-बुर्द करना चाहते है।

प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 7 जिस प्रकार लिखी गयी है, गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थी को कभी भी विभाजन करने से मना नहीं किया है। विपक्षी संख्या 01 ही बिना विभाजन कराये ही भूमि को खुर्द-बुर्द करने पर आमादा है।

प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 8 जिस प्रकार लिखी गयी है, गलत होकर अस्वीकार है। विपक्षी संख्या 1 ही उक्त भूमि को खुर्द-बुर्द करना चाहता है व निर्माण करना चाहते है, इस कारण से विपक्षी संख्या 01 के विरुद्ध निषेधाज्ञा जारी की जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 9 में वर्णित तथ्य का जवाब इस प्रकार है कि उक्त भूमि का विभाजन कर दिये जाने पर विपक्षी अनावेदक को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 10 में वर्णित तथ्य के जवाब की आवश्यकता नहीं है।

अंत में प्रार्थी ने जो प्रार्थना की है, का जवाब इस प्रकार है कि विपक्षी संख्या 01 उक्त आराजियात को खुर्द-बुर्द करना चाहता है व भूमि पर निर्माण करना चाहता है, जिसे निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

अतिरिक्त कथन

वादग्रस्त आराजियात मजकुरा खातेदारी भूमि आराजियात है, जिसका हक हिस्से व मिजान एवं [illegible] के अनुसार विभाजन कर दिये जाने पर विपक्षीगण अनावेदक को कोई आपत्ति नहीं है।

विपक्षी संख्या 01 ही उक्त भूमि को खुर्द-बुर्द करना चाहते है व निर्माण करना चाहते है, इस कारण से विपक्षी संख्या 01 के विरुद्ध निषेधाज्ञा जारी की जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

जवाब की ताईद में विपक्षी अनावेदक का शपथपत्र पेश है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि विपक्षी अनावेदक का जवाब स्वीकार फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 1/1 लगायत 1/5 को जवाब पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरान्त भी जवाब पेश नहीं किये जाने से अप्रार्थी संख्या 1/1 लगायत 1/5 का जवाब दिनांक 22.12.2025 को बंद किया गया। तत्पश्चात् अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं संलग्न रिकॉर्ड का अनुशीलन किया गया। प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किये जाने हेतु निम्नांकित तीन बिन्दुओं पर निस्तारण किया जाना न्यायोचित है:-

1. प्रथम दृष्टया मामला :-

वादी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि ग्राम [illegible] की वादग्रस्त आराजी संख्या 3876, 3877, 3878/1, 3879/1, 3882/1 कुल किता 05 कुल रकबा 1.0876 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि है, जिसमें प्रार्थी अपने राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार विभाजन कराना चाहता है। अप्रार्थी संख्या 1/1 लगायत 1/5 वादग्रस्त भूमि का विभाजन करवाने हेतु सहमत नहीं है तथा [illegible] वादग्रस्त भूमि में [illegible] भू-भाग का बेचान करना चाहते है। इसके अतिरिक्त वे मौके पर स्थाई निर्माण करने पर आमादा है, जिसे रोका जाना आवश्यक है। प्रार्थी द्वारा विभाजन हेतु प्रस्तुत वाद के अंतिम निस्तारण तक प्रार्थी के पक्ष में वादग्रस्त भूमि सहखातेदारी भूमि होने से प्रथम दृष्टया मामला बखूबी प्रमाणित होता है।

अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि है, जिसमें प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच पर कब्जा [illegible] होता है। अतः प्रार्थी को अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती है। अतः प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित नहीं होता है।

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रकरण में वादग्रस्त भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है जिसका प्रार्थी द्वारा विभाजन हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है तथा प्रार्थी द्वारा मूलवाद के निस्तारण तक वादग्रस्त भूमि में विशिष्टिकृत भूभाग का बेचान नहीं करने एवं मौके पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं करने हेतु प्रार्थना की है। अतः अप्रार्थीगण को मूलवाद के निस्तारण तक विशिष्टिकृत भूभाग का बेचान नहीं करने एवं किसी प्रकार का निर्माण नहीं करने से पाबंद किया जाना न्यायोचित है। इस प्रकार प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला का बिन्दु प्रमाणित होता है।

2. सुविधा का संतुलन :-

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की शामलातेदारी भूमि होने से प्रार्थी द्वारा फिजा एवं काश्तकार के आधार पर रास्ते को ध्यान में रखते हुए विभाजन करने हेतु वादपत्र पेश किया गया है। अप्रार्थीगण मौके पर प्रार्थी के उपयोग-उपभोग में निरन्तर बाधा उत्पन्न करते रहते हैं और प्रार्थी की शामलातेदारी भूमि में प्रार्थी को काश्त करने से रोकने का निरन्तर प्रयास कर रहे हैं जिसे रोका जाना आवश्यक है। इस हेतु अप्रार्थीगण को मूलवाद के निस्तारण तक पाबंद किया जाना आवश्यक है। अतः सुविधा का संतुलन का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित होता है।

अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि अप्रार्थीगण संख्या 1/1 लगायत 1/5 की पैतृक कृषि आराजियात है, जिसमें अप्रार्थीगण अपने पूर्वजों के समय से ही काबिज काश्त है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 क्रेता होने से उनका मौके पर कोई कब्जा नहीं है। अतः प्रार्थी के पक्ष में सुविधा का संतुलन का बिन्दु प्रमाणित नहीं होता है।

प्रकरण से यह स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1/1 लगायत 1/5 की पैतृक कृषि आराजियात है, जिसमें अप्रार्थीगण का उनके पूर्वजों के समय से ही कब्जा चला आ रहा है, परन्तु प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 सहखातेदार होने से उनके हक हिस्से के अंश तक वादग्रस्त भूमि में काश्त करने में सक्षम है, जिससे उन्हें रोका जाना उचित नहीं है। अतः सुविधा का संतुलन का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित होता है।

3. अपूरणीय क्षति :-

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि में अप्रार्थी संख्या 1/1 लगायत 1/5 विशिष्टिकृत भूभाग का बेचान करने पर आमादा है। यदि उन्हें मूलवाद के निस्तारण तक विशिष्टिकृत भूभाग का बेचान करने से नहीं रोका जाता है तो प्रार्थी के वाद का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा और नवीन वाद विवाद उत्पन्न होंगे। अतः अप्रार्थी संख्या 1/1 लगायत 1/5 को मूलवाद के निस्तारण तक विवादग्रस्त भूमि में विशिष्टिकृत भूभाग का बेचान नहीं करने हेतु पाबंद करवाया जावे।

अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि अप्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि में हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है, जिसे बेचे जाने से रोका जाना न्यायोचित नहीं है। अप्रार्थीगण को उनके हक हिस्से का बेचान किये जाने से रोकने की वैधिक एवं न्यायिक मंशा नहीं है।

प्रकरण में वादग्रस्त भूमि उभयपक्षकारान् की सहखातेदारी भूमि है, जिसमें किसी भी पक्षकारान् को विशिष्टिकृत भूभाग का बेचान करने पर नवीन वाद विवाद उत्पन्न होंगे और अनावश्यक वादकारणों को रोके जाने का दायित्व न्यायालय का होने से प्रार्थी व अप्रार्थीगण को मूलवाद के निस्तारण तक वादग्रस्त भूमि से विशिष्टिकृत भूभाग का बेचान करने से रोका जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थी अपने पक्ष में उपरोक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु साबित करने में सफल रहा है। अतएव

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

:- आदेश :-

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1/1 लगायत 1/5 व अप्रार्थी संख्या 02 स्वीकार किया जाता है और उभयपक्षकारान को मूलवाद के निस्तारण तक वादग्रस्त भूमि में से विशिष्टिकृत भूभाग के बेचान करने पर अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। साथ ही वादग्रस्त भूमि में उभयपक्षकारान् को किसी भी प्रकार का निर्माण सक्षम स्तर से स्वीकृति के बिना नहीं करने हेतु मूलवाद के निस्तारण तक पाबंद किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो और नम्बर से कम हो।

(अरूण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा